

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि०न०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/34/2014	2014/108	18.09.2014	26-04-2022

1. नत्था पुत्र सम्पत जाति बैरवा, निवासी दानपुर, तहसील रैणी, जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी जिला अलवर।

असल रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 11.09.2014 प्रकरण संख्या 03/2014 अन्तर्गत राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थित:-


01. श्री मनमोहन शर्मा

-वकील अपीलान्ट

-:: निर्णय ::-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 11.09.2014 प्रकरण संख्या 03/2014 जिसके द्वारा संवत 2071 में ग्राम दानपुर की आराजी खसरा न० 01 रकबा 0.55 है० किस्म चारागाह में अतिक्रमित रकबा 0.55 है० में फसल खरीफ ढेंचा 0.30 व पडत 0.25 काशत किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ० को जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार रैणी के आदेश 11.09.2014 अपीलान्ट को बगैर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए ही एक तरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का ईटोली द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश रिपोर्ट अनुसार संवत 2071 खरीफ फसल में आराजी खसरा न० 01 रकबा 0.55 है०, ढेंचा 0.30 व पडत 0.25 वाके ग्राम दानपुर पर ढेंचा बोककर अतिक्रमण किया गया है। जिस रिपोर्ट पर तहसीलदार रैणी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई


26/4/2022
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

हेतु नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी कर आगामी तारीख पेशी 24.07.2014 नियत की गई। अपीलान्त द्वारा नियत पेशी पर उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जिसमें अपीलान्त ने कहा कि उसका चारागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं है एवं ग्राम रैणी एवं परवैणी व दानपुर की सीमाएँ एक-दूसरे से मिली हुई है और चारागाह का रकबा है जो सीमा पर पडता है। अपीलान्त व अन्य लोगों ने कई बार तहसील में उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि तीनों गांव की सीमा का निर्धारण किया जावे। जिससे की चारागाह की जमीन एवं खातेदारों की जमीन की सीमा का सही निर्धारण हो सके।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को नोटिस धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत दिया गया और निर्णय में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 अंकित किया गया है। यानि अपीलान्त को न तो धारा 91(3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम को नोटिस दिया गया और न ही फ़ैसले द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम अंकित किया गया है जबकि अपीलान्त को सजा 91(3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत सुनाई गई है। धारा 91 (3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी को सजा सुनाने से पूर्व कानूनन यह आवश्यक है कि उसके विरुद्ध पूर्व में न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद वेदखली का आदेश दिया हो और उस आदेश की पालना में मौके से वास्तविक रूप से वेदखली किया गया हो और न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश पत्रावली पर पेश किया जाना आवश्यक है जबकि इस निर्णय को देखने से यह पता चलता है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार रैणी द्वारा पूर्व में अपीलान्त के विरुद्ध कोई वेदखली का आदेश नहीं दिया गया और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश गैर कानूनी है जिससे निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है। अपीलान्त का चारागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। मौके की सही जांच करवाकर अगर यह पाया जावे कि अपीलान्त का चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण है तो अपीलान्त अपना कब्जा तुरन्त हटाने को तैयार है और आगे भी अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में अन्डरटेकिंग देने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2014 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। अपीलान्त एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है। इस समय काश्त का समय है। अगर मुकामी पुलिस ने इस आदेश के मुताबिक अपीलान्त को गिरफ्तार कर लिया तो अपीलान्त बर्बाद हो जायेगा। अपीलान्त के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2014 को निरस्त फरमावें।

तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट संवत् 2071 बाके ग्राम दानपुर के आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.55 है0 में फसल खरीफ ढेंचा 0.30 व पडत 0.25 किरम चारागाह, फसल खरीफ ढेंचा वोकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस जवाब में दिनांक 25.07.2014 को कथन किया गया कि मिन अपीलान्त आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.55 है0 पर करीब वर्ष 1988 से लगातार सरकार को पैनल्टी देते चले आ रहा है। अपीलान्त की खातेदारी भूमि से लगती हुई है, कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की दैनिक डायरी दिनांक


26/04/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

14.05.2014 एवं फर्द मौका वेदखली दिनांक 14.05.2014 के द्वारा अपीलान्त नत्था पुत्र सम्पत जाति वैरवा निवारी दानपुर तहसील रैणी को वेदखल किए जाने का अंकन किया हुआ है एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 02.12.2014 चाके ग्राम दानपुर में भी आराजी खसरा न0 01 किस्म चारागाह भूमि से अतिक्रमण जे0सी0वी0 द्वारा हटाये जाने का अंकन किया हुआ है। इसी प्रकार पटवारी हल्का ईटोली ने दिनांक 21.08.2014 को वयान दिए गए की ग्राम दानपुर के आराजी खसरा न0 01 रकवा 0.55 है0 पर फसल खरीफ ढेंचा 0.30 व पडत 0.25 काश्त कर संवत 2071 में फसल खरीफ अतिक्रमी नत्था पुत्र सम्पत जाति वैरवा ने अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमी ने इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अपील व अपीलान्त वकील की वहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्त का आराजी खसरा न0 01 रकवा 0.55 है0 किस्म चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होना पाया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 11.09.2014 सही सावित होना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 11.09.2014 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)
26/04/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)